**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3926**

**19 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**10 मिलियन आवास इकाइयों का सृजन**

**3926. श्री दुलू महतोः**
**श्री विजय बघेलः**
**श्री अनुराग शर्माः**
**श्री विष्णु दयाल रामः**
**श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभीः**
**श्री तापिर गावः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 10 मिलियन नई आवास इकाइयों के निर्माण के विशेष संदर्भ में शहरी आवास और विकास को बढ़ाने के लिए की गई प्रमुख पहलों की स्थिति क्या है;

(ख) सरकार द्वारा आवास बाजार में उच्च स्टांप शुल्क और पारदर्शी किराये के आवासन बाजार की आवश्यकता जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या योजना है, और

(ग) झारखंड सहित बड़े शहरों के लिए शहरी नियोजन को आकार देने में पारगमन-उन्मुख विकास (टीओडी) की क्या भूमिका है और उक्त विकास विद्यमान परिवहन अवसंरचना के साथ कैसे एकीकृत होता है?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री तोखन साहू)**

(क) और (ख): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास और विकास से संबंधित योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। पीएमएवाई-यू के तहत राज्य/संघ राज्य

क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 02.12.2024 तक, कुल 118.64 लाख आवासों को मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है जिसमें से 114.23 लाख निर्माणाधीन हैं और 88.32 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

पीएमएवाई-यू के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से 'सभी के लिए आवास' पीएमएवाई-यू 2.0 मिशन शुरू किया है, ताकि पात्र लाभार्थियों द्वारा चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच), और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से किफायती लागत पर 10 मिलियन घरों का निर्माण, खरीद की जा सके और किराये पर लिए जा सकें। अब तक, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। योजना के दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/operational-guidelines-of-pmay-u-2.pdf पर उपलब्ध हैं।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की एजेंसियों को एएचपी घटक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) लाभार्थियों के लिए घर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किफायती आवास पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए समयबद्ध आधार पर स्टांप शुल्क में कमी सहित सार्वजनिक/निजी एजेंसियों को विभिन्न सुधार और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 'किफायती आवास नीति' तैयार करनी होगी। पीएमएवाई-यू 2.0 किफायती आवास नीति तैयार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है।

(ग): पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) की बड़ी भूमिका पारगमन स्टेशनों के दोनों ओर के प्रभाव क्षेत्रों के भीतर कॉम्पैक्ट विकास केंद्रों अर्थात पैदल दूरी के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए भूमि उपयोग और परिवहन योजना को एकीकृत करना है। टीओडी दृष्टिकोण प्रभाव क्षेत्र में उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों को विकसित करके सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना चाहता है, जिससे दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए निवासियों/श्रमिकों द्वारा किए गए पारगमन और पैदल यात्राएं बढ़ जाएंगी और इसके परिणामस्वरूप प्रभाव क्षेत्र में प्रदूषण और भीड़भाड़ में कमी आएगी। यह मिश्रित भूमि उपयोग विकास के साथ प्रभाव क्षेत्र में कार्य/नौकरी, खरीदारी, सार्वजनिक सुविधाओं, मनोरंजन की सभी बुनियादी जरूरतों को भी बढ़ावा देता है जो बड़े शहरों में यात्रा की आवश्यकता को

कम करेगा। इसके अलावा, यह कुल आवास आपूर्ति में उनके लिए निर्मित क्षेत्र का एक निर्धारित अनुपात आवंटित करके प्रभाव क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस और किफायती आवास को भी एकीकृत करता है।

*****